<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 491/2022

दीपक दानू .... **पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम।

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी

श्री पी.सी. पेटशाली एवं श्री कौशल साह जगाती, पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ।
उत्तराखंड राज्य के लिए श्री वी.एस.राठौर, ए.जी.ए.
सुश्री सोनाली शाह, अभियुक्त के अधिवक्ता श्री बीएन मौलखी के पक्षधारक

निर्णय

<u>माननीय न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी(मौखिक)</u>

इस पुनरीक्षण में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी/रुद्रपुर, जिला-उधम सिंह नगर की न्यायालय द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या 412/2021 राज्य बनाम गोल्डी राजीव संथोजी में पारित आदेश दिनांक 20.08.2022 चुनौती दी गई है। पुनरीक्षणकर्ता आदेश के उस भाग से व्यथित है, जिसके द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ("पॉक्सो अधिनियम") की धारा 9 के बजाय धारा 8 के तहत आरोप विरचित किये गये और आदेश के उस भाग को भी चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा पीडब्ल्यू 1 और पीडब्ल्यू 2 को पुन-प्रतिपरीक्षा के लिए समन किया गया।

2. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

3.तथ्य जिनका अनिवार्य रूप से आकलन करना जरूरी है, निम्नानुसार हैं:

एक आवासीय विद्यालय के अभिभावक शिक्षक संघ ने 01.07.2015 को पुलभट्टा पुलिस स्टेशन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377, 511 और धारा 9 (f)/10 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की। इस एफआईआर के आधार पर विवेचना की गई और पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद इस न्यायालय के आपराधिक आवेदन संख्या 31/2021 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2021 में अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और आगे की विवेचना का आदेश दिया गया था (इसे चार्जशीट में दर्ज किया गया है)। आगे की विवेचना की गई। इसके बाद, निजी प्रत्यर्थी ("अभियुक्त") के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एफ) के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। संज्ञान लिया गया और यह मामले का आधार है।

4. प्रारम्भ में 29.10.2021 को धारा 377 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एफ)/6 के तहत आरोप विरचित किए गए थे। दो साक्षियों, पीडब्ल्यू 1, पीड़ित संख्या 4 और पीडब्ल्यू 2, पीड़ित संख्या 1-डी से परीक्षित किया गया। इसके बाद, अभियोजक द्वारा 06.06.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मामले में कई पीड़ित हैं, लेकिन आरोप में, पीड़ितों के नामों को स्पष्ट रूप से संदर्भित नहीं किया गया है। इसलिए, आरोप में पुनरीक्षण किया जा सकता है। इस प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.08.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी और 20.08.2022 को प्रत्येक पीड़ित के संबंध में अलग-अलग आरोप विरचित किए गए थे। ये आरोप आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 8 के तहत लगाए गए हैं।

5. जब आरोप विरचित किए गए, तो अभियुक्त की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था कि चूंकि आरोप फिर से विरचित किए गए हैं, इसलिए अभियुक्त को पीडब्ल्यू 1 और पीडब्ल्यू 2 से आगे जिरह करने की अनुमति दी जा सकती है। इस आवेदन को भी दिनांक 20.08.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा अनुमति दी गई

थी और PW1 और PW2 को आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए बुलाया गया।

6. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त आवासीय विद्यालय का प्रबंधक है। ऐसी परिस्थितियों में, पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के बजाय पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 आकर्षित होती है। लेकिन, यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत आरोप विरचित करने में त्रुटि की थी।

7. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में, आरोपों को बदला नहीं गया है, अपितु प्रत्येक पीड़ित के संबंध में, उन्हें प्रथक कर दिया गया है। पीडब्ल्यू 1, जो पीड़ित संख्या 4 और पीडब्ल्यू 2,जो पीड़ित संख्या 1घ है, ने उनके विरुद्ध किए गए कृत्य के बारे में बताया है। उनसे जिरह की गई है। इसलिए, अभियुक्त के लिए पीडब्ल्यू 1 और पीडब्ल्यू 2 से पुन- जिरह की मांग करने का कोई अवसर नहीं है।

8. दूसरी ओर, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अगर पीडब्ल्यू1 और पीडब्ल्यू2 से आगे जिरह करने की आज्ञा नहीं दी जाती है तो इससे अभियुक्त के बचाव पर गंभीर असर पड़ेगा। यह प्रस्तुत किया कि पहले पीड़ितों के संदर्भ में सामूहिक रूप से आरोप विरचित किए गये थे इसलिए, बचाव की रणनीति अलग थी। लेकिन अब, यह तर्क दिया गया कि प्रत्येक पीड़ित के संबंध में आरोप प्रथक विरचित किए जाते हैं, इसलिए, आगे की जिरह आवश्यक है। यह भी तर्क दिया गया कि पहले, अधिवक्ता अलग था। अब, यह महसूस किया गया है कि पीडब्ल्यू 1 और पीडब्ल्यू 2 की जिरह में कुछ और प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे। इसलिए, PW1 और PW2 की आगे की जिरह आवश्यक है। अपने तर्क के समर्थन में, अभियुक्त के अधिवक्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("संहिता") की धारा 217 के प्रावधानों का भी उल्लेख किया और आपराधिक पुनरीक्षण संख्या

3303/2013 सोनिया बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में के निर्णय का उल्लेख किया है।

9. वास्तव में, सोनिया (*उपर्युक्त*) के मामले में इस प्रकार विधि का कोई सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है। उस मामले में, पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी गवाह से पुन परीक्षित से इंकार करते हुए न्यायालय ने ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि गवाहों से पुन परीक्षित का उद्देश्य या विलंब करना या न्याय के उद्देश्य को पराजित करना है। इस तरह के आदेश को बरकरार नहीं रखा गया।

10. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त आवासीय विद्यालय का प्रबंधक था। इसलिए, पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के बजाय पॉक्सो एक्ट की धारा 9 के तहत आरोप विरचित करने का कोई अवसर नहीं है।

11. निस्संदेह, यदि आरोप संशोधित किए जाते हैं और पृथक पृथक आरोप लगाए जाते हैं, तो अभियुक्त को उन साक्षियों से आगे जिरह करने का अधिकार होता है, जिनका पहले पुनरीक्षण हो है। वास्तव में, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में बचाव के निष्पक्ष अवसर का अधिकार शामिल है। संहिता की धारा 217 का उल्लेख किया गया । यह निम्नानुसार है:-

> "**217. आरोप परिवर्तित किये जाने पर साक्षियों को पुन: बुलाया जाना.—**
> **जब कभी विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाता है तब अभियोजक और अभियुक्त को-**
> **(क) किसी ऐसे साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाने की या पुनः समन करने की और उसकी ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी जब तक न्यायालय का ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार नहीं है कि, यथास्थिति, अभियोजक या अभियुक्त तंग करने के या विलंब करने के या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से ऐसे साक्षी को पुनः बुलाना या उसकी पुनः परीक्षा करना चाहता है ;**

(ख) किसी अन्य ऐसे साक्षी को भी, जिसे न्यायालय आवश्यक समझे, बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

12. प्रत्येक मामले में, जहां आरोप बदल दिया जाता है या जोडा जाता है वहां अभियुक्त को पहले से ही यह परीक्षित साक्षियों से आगे परक्षिण की मांग करने का पूर्ण अधिकार नहीं देता है। सामान्य नियम यह है कि यदि किसी आरोप को बदल दिया जाता है या जोड़ा जाता है, तो अभियोजक और अभियुक्त को इस तरह के परिवर्तन के संदर्भ में किसी भी साक्षी को वापस बुलाने या दोबारा परीक्षण करने की अनुमति दी जाती है, जिसका परीक्षण किया जा चुका है। लेकिन यह सामान्य नियम एक शर्त के अधीन है कि यदि न्यायालय, कारण सहित यह मानती है कि अभियोजक या अभियुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसे गवाह को वापस बुलाने या फिर से परीक्षित करने की इच्छा रखता है जो न्याय के अंत को पराजित करने के लिए, देरी करने के लिए हो अथवा न्यायालय द्वारा इस तरह के रिकॉल या पुन: परीक्षण से इनकार किया जा सकता है।

13. अपनी आपत्तियों में, अभियुक्त ने यह भी कहा कि पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है, लेकिन बहस के दौरान, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया कि पुनरीक्षण पोषणीय है क्योंकि, यदि विचार नहीं किया जाता है, तो यह न्याय का गंभीर उल्लंघन होगा। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विधि के सिद्धांतों पर बल किया है, जैसा होन्नैया टीएच बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1001। के मामले में निर्धारित किया गया निर्णय के पैरा 13 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार कहा :-

> **"13.** आपराधिक मुकदमे के दौरान न्याय का एक गंभीर उल्लंघन होगा यदि बयान को एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्राथमिकी के पंजीकरण का आधार बनता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय के आदेश को केवल प्रक्रियात्मक या अंतर्वर्ती प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अभियोजन पक्ष के मूल आधार को प्रभावित करने की क्षमता है। सीआरपीसी की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण

क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है जहां सार्वजनिक न्याय के हित में प्रकट अवैधता के सुधार या न्याय के उलंघन को रोकने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। न्यायालय दोषमुक्त या दोषसिद्धि के अंतिम आदेश के खिलाफ अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकती है, जो अंतर्वर्ती प्रकृति का नहीं है। अमर नाथ बनाम अमर नाथ मामले में निर्णय में। हरियाणा राज्य, के निर्णय में इस न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 397 (2) में "अंतर्वर्ती आदेश" शब्द का अर्थ समझाया। इस न्यायालय ने माना कि " अंतर्वर्ती आदेश" अभिव्यक्ति विशुद्ध रूप से अंतरिम या अस्थायी प्रकृति के आदेशों को दर्शाती है जो पक्षकारों के महत्वपूर्ण अधिकारों या देनदारियों पर निर्णय नहीं देते हैं । इसलिए, कोई भी आदेश जो पक्षकारों के अधिकारों को काफी हद तक प्रभावित करता है, उसे "अंतर्वर्ती आदेश" नहीं कहा जा सकता है। दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए धारित करते हुए, न्यायमूर्ति मुर्तजा फजल अली ने कहा:

> "6. [...] हमें ऐसा लगता है कि यह शब्द 1973 की संहिता की धारा 397 (2) में " अंतर्वर्ती आदेश" का उपयोग प्रतिबंधित अर्थों में किया गया है न कि किसी व्यापक या कलात्मक अर्थ में। यह केवल एक विशुद्ध रूप से अंतरिम या अस्थायी प्रकृति के आदेशों को दर्शाता है जो पार्टियों के महत्वपूर्ण अधिकारों या दायित्वों को तय नहीं करते हैं। कोई भी आदेश जो अभियुक्त के अधिकार को काफी हद तक प्रभावित करता है, या पक्षकारों के कुछ अधिकारों का फैसला करता है, उसे एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता है जो उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण पर रोक लगा सकता हो, क्योंकि यह उसी उद्देश्य के खिलाफ होगा जिसने 1973 की संहिता की धारा 397 में इस विशेष प्रावधान को शामिल करने का आधार बनाया था। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, साक्षियों को तलब करने, मामलों को स्थगित करने, जमानत के लिए आदेश पारित करने, रिपोर्ट मांगने और लंबित कार्यवाही की सहायता के लिए ऐसे अन्य कदम उठाने के आदेश, निस्संदेह अंतर्वर्ती आदेशों के समान हो सकते हैं, जिनके खिलाफ 1973 की संहिता की धारा 397 (2) के तहत कोई पुनरीक्षण नहीं होगा। लेकिन ऐसे आदेश जो महत्वपूर्ण हैं और जो अभियुक्त के अधिकारों या मुकदमे के किसी विशेष पहलू को प्रभावित करते हैं या निर्णय लेते हैं, उन्हें अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता है जो उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर कर दे।

14. वास्तव में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यह भी धारित किया कि, "**सीआरपीसी की धारा 397 के साथ धारा 401 के तहत उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार एक विवेकाधीन**

अधिकार क्षेत्र है जिसका प्रयोग पुनरीक्षण न्यायालय स्वत: संज्ञान पर लिया जा सकता है ताकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य की विवेचना की जा सके। चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग स्वत: संज्ञान लेते हुए भी किया जा सकता है, इसलिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की ओर उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने और जब शक्ति का प्रयोग करने का अवसर उत्पन्न हुआ है तो उसका प्रयोग करने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है।

15. वास्तव में, बहस के दौरान, अभियुक्त की ओर से, पुनरीक्षण की पोषणीयता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।

16. अभियुक्त पर पोक्सो अधिनियम के तहत भी विचारण चल रहा है, मामले के विचारण के समय पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। विशेष न्यायालय की प्रक्रिया, शक्तियां और साक्ष्य दर्ज करने के प्रावधान पॉक्सो अधिनियम के अध्याय आठ के तहत इसमें गवाहों से परीक्षण के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। पोक्सो अधिनियम की धारा 35(5) में प्रावधान है कि विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगी कि बालक को न्यायालय में गवाही देने के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाए।

17. 29.10.2021 को अभियुक्त पर आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपों के अनुसार, एक आवासीय विद्यालय का प्रबंधक होने के नाते, अभियुक्त ने नाबालिग छात्रों को अपने छात्रावास के कमरे में बुलाया और अपराध को अंजाम दिया। इन दोनों शीर्षों के तहत, पीड़ितों को बहुवचन में इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों आरोपों में अभियुक्त को बताया गया है कि यह कृत्य उसने तब किया था जब वह एक आवासीय विद्यालय का प्रबंधक था।

18. आरोप में संशोधन करके प्रत्येक पीड़ित के संबंध में आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं। वास्तव में, यह आरोप का परिवर्तन नहीं है। अभियुक्त को सामूहिक रूप से जो बताया गया था, वह उसे अलग से बताया गया है।

19. पीडब्ल्यू 1 पीड़ित संख्या 4 है और पीडब्ल्यू 2 पीड़ित संख्या 1-डी है। पीडब्ल्यू 1 के संबंध में, धारा 377 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप हैं। पीडब्ल्यू 2, पीड़ित संख्या 1-डी का पहले ही परीक्षण और जिरह हो चुकी है। उसने अभियुक्तगणों द्वारा उसके साथ की गये हरकतों के बारे में बताया है। उन पहलुओं पर उनसे जिरह की गई है। इसलिए, पीड़ितों के अनुसार, केवल आरोप को अलग करने से, अभियुक्त को आगे की जिरह का अधिकार नहीं मिल जाता है। वास्तव में, यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो यह निश्चित रूप से न्याय के उद्देश्यों को पराजित करेगा।

21. जहां तक पीडब्ल्यू1 की आगे की जिरह का संबंध है, बाद में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आरोप संख्या 7 उससे संबंधित है। यह लैंगिक हमले के संबंध में है। तथ्य यह है कि अभियुक्त पर लैंगिक हमले का कोई आरोप पहले विरचित नहीं किया गया था। इसे 20.08.2022 को पहली बार तैयार किया गया था।

22. पुनरीक्षणकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया गया है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराध पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 की तुलना में कम संगीन है। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि केवल इसलिए कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत आरोप जोडा गया है, अभियुक्त को पीडब्ल्यू 1 से आगे जिरह करने का अधिकार नहीं मिलता है। अगर पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 8 के तहत आरोप एक ही पिडित के सम्बन्ध में विरचित किए गए होते तो इस तर्क को स्वीकार कर लिया गया होता ।

23. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडब्ल्यू 1 गुरूतर यौन हमले का पिडित है, जैसा कि उपरोक्त है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत आरोप पहले विरचित नहीं किए गए थे। हालांकि, यह भी एक तथ्य है कि पीडब्ल्यू 1 का परीक्षण और जिरह करायी गयी थी। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्ल्यू 1 ने यह भी कहा है कि उसकी उपस्थिति में अभियुक्त द्वारा एक अन्य बच्चे पर प्रवेक्षण लैंगिक हमले का अपराध किया गया था। क्या उसे अकेले पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध के संबंध में परीक्षित किया गया था या पीडब्ल्यू 1 से भी गुरूत्तर लैंगिक हमले के अपराध के पीड़ित के रूप में परीक्षण हुआ था। लेकिन, जैसा कि कहा गया है, यह आरोप विरचित नहीं किया गया था। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि निश्चित रूप से अभियुक्त को पीडब्ल्यू 1 से आगे जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

24. जहां तक पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 के तहत आरोप विरचित करने का प्रश्न है, तथ्य यह है कि यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि अभियुक्त एक आवासीय विद्यालय का प्रबंधक था। पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 गुरूत्तर लैंगिक हमले को परिभाषित करती है, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत दंडनीय है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 (एफ) के अनुसार, यदि प्रबंधन या किसी शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी, आदि उस संस्थान में किसी बच्चे पर लैंगिक हमला करता है, यह भी गुरूत्तर लैंगिक हमले के अपराध के समान है। अभियोजन पक्ष का मामला यही है। इसलिए, निश्चित रूप से, पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के बजाय अभियुक्त पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 सपठित 10 के तहत आरोप विरचित किए जाने चाहिए थे।

25. तदनुसार, पुनरीक्षण को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

26. अभियुक्त को अकेले पीडब्ल्यू 1 से जिरह करने का अवसर मिलेगा। उन्हें पीडब्ल्यू2 से आगे जिरह करने का अवसर नहीं मिलेगा।

27. अभियुक्त पर पीड़िता संख्या 4 और पीड़ित संख्या 5 के संबंध में पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 और 10 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाय। तदनुसार, अधीनस्थ न्यायालय को 20.08.2022 को विरचित किए गए आरोप (हेड 7 और 8) को सही करने का निर्देश दिया जाता है।

28. दिनांक 20.08.2022 के आक्षेपित आदेश को, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, सीमा तक संशोधित किया जाता है ।

(रवींद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति।

13.10.2022

रवि बिष्ट